भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2089

दिनांक 13/12/2024

कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों के लिए एक समान सेवा शर्तें

2089. **श्री विवेक के. तन्खा :**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मेजबान संगठनों के अंतर्गत सभी कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, अवकाश नीतियों और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों सहित समान सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार विभिन्न मेजबान संगठनों के कर्मचारियों में असमानताओं को दूर करने हेतु केवीके कर्मचारियों के लिए रोजगार शर्तों के मानकीकरण नीति पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार ने गैर-आईसीएआर संगठनों के अंतर्गत कार्यरत केवीके कर्मचारियों के मनोबल और प्रतिधारण के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के हालिया पत्राचार के प्रभाव का मूल्यांकन किया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : योजना ''कृषि विज्ञान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत, मेजबान संगठन (जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), मानद विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, अन्य शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा गैर-सरकारी संगठन में से कोई एक हो सकता है) के तत्वावधान में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाती है। कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करते समय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और संबंधित मेजबान संगठन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहमति ज्ञापन (एमओए) के अनुसार दोनों पक्ष निम्नलिखित नियम व शर्तें मानने के लिए बाध्य होते हैं :

- परिषद समय-समय पर भारत सरकार द्वारा लागू केवीके योजना के तहत अनुमोदित सहायता के पैटर्न के अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र पर परियोजना के लिए अनुदान प्रदान करेगी।
- योजना को समर्थन देने के लिए आवश्यक संतुलित (मोडेस्ट) कार्यालय कर्मचारियों के वेतन में सहायता।
- कर्मचारियों का वेतनमान योजना के लिए परिषद द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक नहीं होना चाहिए। परिषद द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक किसी भी प्रोत्साहन या तदर्थ वेतन वृद्धि का वहन कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा।
- कृषि विज्ञान केन्द्र के सभी कर्मचारियों का खर्च केवल अनुदान प्राप्तकर्ता (मेजबान संगठन) की स्थापना पर ही वहन किया जाएगा। इसलिए, योजना के तहत नियोजित कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण मेजबान संस्थान का होगा। परियोजना की समाप्ति के बाद परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति अनुदान प्राप्तकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी, जिसका कि परिषद पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- परिषद, सीपीएफ/जीपीएफ के बदले पेंशन अंशदान और/या अवकाश वेतन अंशदान या अनुदानकर्ता द्वारा अन्य सेवानिवृत्त लाभ पर किए गए व्यय अथवा की गई प्रतिबद्धता पर कोई व्यय वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(ख) : वर्तमान में योजना ''कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण'' में किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) : योजना ''कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण'' के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी हालिया पत्राचार सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों और नीतियों पर आधारित हैं।
